

Court of ACJM, Biraul

J. Pur P.S.-12/17

G.R.-115/17

23.09.19

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धाराएँ-341,323,325,504 / 34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त **रीता देवी एवं तीन** अन्य, जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त 1. रीता देवी 2. चंदन चौपाल 3. शिवनाथ चौपाल 4. दीपक कुमार चौधरी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धाराएँ-341,323,325,504 / 34 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार आरोप-पत्रित अभियुक्त **रीता देवी एवं तीन** अन्य, के विरुद्ध भा0द0वि0 की धाराएँ- 341,323,325,504 / 34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करे।

दिनांक- 08.02.2020 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी